संख्या-8/2015/440/52-2-15-2(270)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कन्नौज, हापुड, श्रावस्ती, एटा, गौतमबुद्धनगर, शामली, आगरा, भदोही, ललितपुर एवं गोण्डा।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक मार्च, 2015

विषय- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी हेतु डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 के पत्र संख्या-683/व0आ0-31(88)/2014 दिनांक 09 मार्च, 2015, संख्या-682/व0आ0-31(88)/2014 दिनांक 04-03-2015, संख्या-678/व0आ0-31(88)/2014, दिनांक 04-03-2015, संख्या-681/व0आ0-31(88)/2014 दिनांक 04-03-2015,संख्या-680/व0आ0-31(88)/2014,दिनांक04-03-2015, जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-1170/जि0अ0सं0क0/2014-15 दिनांक 23-02-2015, जिलाधिकारी, भदोही के पत्र संख्या-730/अ0सं0क0-कब्रिस्तान/2014-15, दिनांक 19-02-2015, एवं सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0 के पत्र संख्या-695/ व0आ0-31(88)/2014, दिनांक 13;03;2015, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्ठि स्थलों की चहारदीवारी हेतु निम्नलिखित जनपदों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 (50 प्रतिशत) एवं अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1158;766 लाख (रू0 ग्यारह करोड अट्ठावन लाख छिहत्तर हजार छ : सौ मात्र) जो डी;आर;डी;ए; के पी;एल;ए; में रखी है, को निम्नलिखित विवरण के अनुसार, पी;एल;ए; से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि- " संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी पी;एल;ए; में रखी धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यो एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त से कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की नियमित जांच अपने स्तर से स्वतन्त्र रूप से परीक्षण कराते हुए सुनिश्चित करने एवं उसकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त की धनराशि निम्नवत अवमुक्त की जायेगी:-

क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)**	**डी0आर0डी0ए0 केपी0एल0ए0में जमा धनराशि**	**डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0**	**किश्त प्रथम /द्वितीय)**

http://shasanadesh.up.nic.in

				लाख में)	
1	2	3	4	5	
1	कन्नौज	206.979	103.4895	103.4895	II
2	हापुड	269.973	134.98	134.98	I
3	श्रावस्ती	188.690	18.869	18.869	अवशेष
4·	एटा	131.987	65.9935	65.9935	I I
5	गौतमबुद्धनगर	161.984	80.992	80.992	I
6	शामली	455.954	227.977	227.977	II
7	आगरा	347.965	173.985	173.985	II
8	भदोही	152.98	76.4925	76.4925	II
9	ललितपुर	47.995	23.9975	23.9975	II
10	गोण्डा	503.98	251.99	251.99	I
		कुल धनराशि रू0		1158.766	

कुल योग (रू0 ग्यारह करोड अट्ठावन लाख छिहत्तर हजार छः सौ मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-276/दस-2015, दिनांक 19.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 400(1)/52-2-15तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज, हापुड, श्रावस्ती, एटा, गौतमबुद्धनगर, शामली, आगरा, भदोही, ललितपुर एवं गोण्डा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कन्नौज, हापुड, श्रावस्ती, एटा, गौतमबुद्धनगर, शामली, आगरा, भदोही, ललितपुर एवं गोण्डा।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in